कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
(सी–210/रासूआ/1–1/होशंगाबाद/2006)

श्री नर्मदा प्रसाद दुबे — अपीलकर्ता
संवाददाता दैनिक देश बंधु,
समाचार पत्र पिपरिया,
विधानसभा क्षेत्र, पिपरिया,बीजनखेड़ी,
जिला होशंगाबाद

विरूद्ध

श्री जे0पी0शर्मा, — **लोक सूचना अधिकारी**
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,
बनखेड़ी, होशंगाबाद

आदेश
(दिनांक 13.06.06)

श्री नर्मदा प्रसाद दुबे (शिकायतकर्ता) ने एक शिकायत वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, बनखेड़ी विकास खण्ड के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उनका यह कहना है कि उन्होने एक आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय जानकारी देने के लिये विकास खण्ड कृषि कार्यालय में दिया था । उस समय वह उपस्थित नहीं थे। सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री बसेड़िया उपस्थित थे लेकिन श्री बसेड़िया ने आवेदन पत्र नहीं लिया और यह कहा कि आवेदन पत्र एस0डी0ओ. कार्यालय में दिया जाये । शिकायतकर्ता का यह कहना है कि इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनके अधिकारों का हनन हुआ है । उन्होने अपनी शिकायत के साथ अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिये गये आवेदन की प्रति लगाई है, जिसमें 5/– रूपये का कोर्टफीस स्टैम्प लगा हुआ है। इस आवेदन पत्र में उन्होने चाही गई जानकारी के सम्बन्ध में लिखा है कि आवेदन पत्र संलग्न है। इस संलग्न आवेदन पत्र में उन्होने निम्नानुसार जानकारी चाही है :–

1. क्या सुखराम ने पिपरिया में प्लाट क्रय तथ मकान निर्माण की अनुमति ली यदि हॉ तो कब लीऔर उसकी छायाप्रति ।

2. क्या सुखराम कहार की गाड़ी क्रय करने की अनुमति ली यदि हॉ तो कब उसकी छाया प्रति।

3. सुखराम कहार के कार्य के ग्रामों की नाम एवं सूची तथा हेड क्वाटर को छोड़ने की किसने अनुमति दी उसकी सूची ।

4. क्या यह अपनी चल–अचल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को देते हैं । यदि देते हैं तो उसकी छायाप्रति ।

5. क्या बैंक से मकान ऋण एवं गाड़ी ऋण दिया है । तो वेतन से कटने वाली राशि की छाया प्रति।

6. सुखराम कहार को मिलने वाले मूल वेतन तथा कहां हेडक्वाटर है। कार्यालय हेडक्वाटर तथा यह कब–कब ग्रामों में जाते हैं । हेडक्वाटर पर कब रहते हैं । उसकी सूची की छायाप्रति।

7. इनके द्वारा ग्रामों में बाटने हेतु दिये जाने वाले हरिजनों के बीज मिनी किटों की सूची की छायाप्रति।

2- इस शिकायत के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बनखेड़ी को एक पत्र अपने प्रतिवेदन देने के लिये भेजा गया । वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने अपने लिखित उत्तर में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता ने जो जानकारी मांगी थी वह अनुविभागीय कृषि अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाती है इसलिये उन्हें यह मार्ग–दर्शन दिया गया कि अनुविभागीय कृषि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर लें । उन्होने अपने प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि श्री सुखराम कहार, ग्राम कृषि विकास अधिकारी व शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो गया है एवं शिकायत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। उन्होने शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत के खण्डन किये जाने के सम्बन्ध में जो पत्र शिकायतकर्ता ने कृषि मंत्री को लिखा था, उसकी प्रति भी भेजी है।

3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी ने अपने उत्तर के साथ, जो शिकायतकर्ता द्वारा कृषि मंत्री को सम्बोधित पत्र की फोटोप्रति लगाई थी, वह शिकायतकर्ता को भेजी गयी है। शिकायतकर्ता ने इसके प्रतिउत्तर में कहा है कि उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं हैं । उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा यह पत्र नहीं भेजा गया है। उन्होंने श्री कहार के विरूद्ध आरोप पुनः दोहराये है।

4. शिकायतकर्ता को शिकायत के सम्बन्ध में सुनवाई के लिये नोटिस दिया गया था और उन्हे दिनांक 12 जून को 11.00 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे । लेकिन, वे अपनी शिकायत के सम्बन्ध में उपस्थित नहीं हुए । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री जे0पी0शर्मा, उपस्थित हुए और उन्हें सुना गया।

5. इस प्रकरण में जो जानकारी शिकायतकर्ता के द्वारा चाही गई है वह प्रश्न–उत्तर के रूप में है । उन्होंने अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसमें निर्धारित 10/– रूपये का शुल्क भी नहीं दिया है । शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य शासन

के निर्देश है कि यह राशि जमा की जा सकती है अथवा नानॅ ज्यूडिशियल स्टैम्प उतनी ही राशि के संलग्न किये जा सकते है । लेकिन शिकायतकर्ता ने शुल्क नहीं जमा किया है। अतः लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन नियमानुसार नहीं है।

6. जहां तक आवेदन पत्र में लिखे गये विषयों का प्रश्न है, यहां यह कह देना आवश्यक है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो सूचना की परिभाषा धारा 2(,Q) में दी गई है उसके अनुसार प्रश्न–उत्तर के रूप में सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती । यदि शिकायतकर्ता किस अभिलेख देखना चाहते हैं या प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं।

7. यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी को यदि कोई आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होता है और जिसका सम्बन्ध उनसे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का हो तो वे आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को भेज दे और आवेदक को यह सूचना दे दें, कि, उनके आवेदन पत्र को किस कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया है जहां से वे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त निर्देश के साथ यह शिकायत समाप्त की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
13 जून 2006